

डिकी मुकदमा इब्तादाई

(ओ0 20 रूल 6 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम --हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

जोगेन्द्रसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति गुजर निवासी बडी बाखर हिण्डौन तहसील
हिण्डौन जिला करौली ----- वादी

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर
3. शम्भूदयाल | पिसरान सूरज | जाति ब्राह्मण निवासी शिव कोलोनी
4. ओमलता | | हिण्डौन तहसील हिण्डौन
5. ज्योति | | जिला करौली
6. नर्वदा बेबा सूरज (मृतक)
7. गंगादेवी बेबा रामदयाल
8. जीतेन्द्र | पिसरान रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन
9. राजेश | तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. रामेश्वर पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी हाल तैनात मुंशी कोर्ट
परिसर हिण्डौन जिला करौली ----- प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 37/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री
अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु मिन जानिब मुदायलह
पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा
नम्बर 7215 रकबा 0.52 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार
शम्भूदयाल पुत्र सूरज, ओमलता ज्योति पुत्री सूरज, नर्वदा बेबा सूरज हि01/6,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामदयाल पुत्र बृजमोहन हि01/6, रामेश्वर पुत्र बृजमोहन हि0 2/3 जाति
ब्राह्मण निवासी ग्राम खातेदार के स्थान ^{पर}वादी जोगेन्द्रसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति
गूजर निवासी बडी बाखर हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
तथा पूर्व के समस्त इन्द्राजात हजफ किये जाते हैं। प्रतिवादी सं0 3 लगायत 10
को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी
खसरा नम्बर 7215 रकबा 0.52 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड
व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये
जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व
डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/04/2022
को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
हिण्डौन सिटा (करौली)